भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1131
22 जुलाई, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज

1131: श्री एम. सेल्वराज:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;
(ग) इस दिशा में उठाए गए कदमों और अब तक प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में खर्च की गई धनराशि का तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): वर्ष 2017 में तैयार की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी सुलभता बढ़ा कर, लागत को कम करके, वहनीयता में वृद्धि करके और समता के माध्यम से अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस नीति में इसके लक्ष्य के रूप में सभी विकासात्मक नीतियों में निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य परिचर्या अभिविन्यास के माध्यम से सभी आयु के लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करने और इसके परिणामस्वरूप किसी को भी वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह नीति समता; वहनीयता; सार्वभौमिकता; रोगी केंद्रितता और परिचर्या की गुणवत्ता; जवाबदेही; समावेशी भागीदारी; बहुलवाद और विकेंद्रीकरण के प्रमुख सिद्धांतों पर अभिकेंद्रित है।

केंद्र सरकार ने लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों के प्रयासों को संपूरक बनाने हेतु अनेक पहलें शुरू की हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, सरकार ने लोगों को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने में राज्य सरकार की सहायता करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इसमें

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) को इसके दो उप-मिशनों के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण- दोनों क्षेत्रों में, विशेष रूप से जनसंख्या के गरीब और कमजोर वर्गों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, मानव स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के लिए पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसेवित और वंचित समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है।

सरकार ने चार मिशन मोड परियोजनाएं नामत पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबीएचडब्ल्यूसी), प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एबीडीएम)शुरू की हैं।

पीएम- एबीएचआईएम को प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट परिचर्या स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमताओं को विकसित करने, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करने और नई एवं उभरती हुई बीमारियों का पता लगाने और इनका उपचार करने के लिए नए संस्थानों का निर्माण करने के लिए एक मिशन के रूप में शुरू किया गया था। पीएम-एबीएचआईएम 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन हेतु कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटकों वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) के अंतर्गत, उप स्वास्थ्य केन्द्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा प्रदान की जाती है। एचडब्ल्यूसी को सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए निवारक, प्रोत्साहनपूर्ण, पुनर्वास और उपचारात्मक परिचर्या प्रदान करना होता है जिसमें प्रजनन और बाल परिचर्या सेवा, संचारी रोग, गैर-संचारी रोग और स्वास्थ्य संबंधी सभी मुद्दे शामिल हैं।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) स्कीम सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना डेटा 2011 के अनुसार मध्यम और विशिष्ट परिचर्या के लिए लगभग 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5.00 लाख रूपए का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का उद्देश्य देश की एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना में सहायता के लिए आवश्यक आधार तैयार करना है।

तमिलनाडु सहित जन स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि का राज्य-वार/वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

जन स्वास्थ्य पर हुए व्यय का राज्यवार विवरण

				करोड़ रुपए में
राज्य	**2018-19 वास्तविक**	**2019-20 वास्तविक**	**2020-21 संशोधित अनुमान**	**2021-22 बजट अनुमान**
आंध्र प्रदेश	7400.1	7538.4	9570.0	14087.7
अरुणाचल प्रदेश	1117.6	1003.4	1009.1	1125.0
असम	4642.3	5334.3	8809.3	7397.2
बिहार	7317.8	7673.8	11170.7	13011.9
छत्तीसगढ	3757.4	4671.3	6521.1	5901.7
गोवा	953.4	1097.4	1405.8	1595.5
गुजरात	9983.7	10283.4	11231.8	11304.3
हरियाणा	4011.2	4982.6	6239.6	7316.7
हिमाचल प्रदेश	2237.9	2306.8	3044.4	2976.0
जम्मू और कश्मीर	4423.8	4244.4	6671.6	7061.4
झारखंड	3370.9	3138.5	4337.6	4445.4
कर्नाटक	9477.2	9160.5	11947.5	12235.4
केरल	7261.6	7538.8	7994.8	10353.5
मध्य प्रदेश	7738.4	9580.4	9467.2	11619.4
महाराष्ट्र	13006.0	14692.1	19538.8	19060.2
मणिपुर	610.2	662.7	1088.7	1095.6
मेघालय	1065.3	865.8	1224.4	1267.9
मिजोरम	581.9	583.2	780.6	623.7
नगालैंड	623.0	667.9	813.8	1042.7
उड़ीसा	5703.3	6185.3	8776.3	9340.0
पंजाब	3243.9	3518.7	4051.0	4662.3
राजस्थान	11861.5	12143.9	13394.3	16269.3
सिक्किम	406.9	425.2	723.6	588.0
तमिलनाडु	12488.7	12320.8	18214.2	18631.6
तेलंगाना	5997.1	6902.0	6385.5	6587.8
त्रिपुरा	929.8	899.7	1044.7	1423.5
उत्तर प्रदेश	18102.3	19957.3	20581.6	32009.3
उत्तराखंड	2096.1	2100.9	2378.6	3438.8
पश्चिम बंगाल	9677.7	10834.2	12727.8	16576.5
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5495.5	5744.5	7442.6	9933.7
पुदुचेरी	579.5	732.0	731.7	795.9

स्रोत: आरबीआई राज्य वित्त (बजटों का अध्ययन)

जन स्वास्थ्य व्यय में चिकित्सा और जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का राजस्व और पूंजी शामिल है

******